राजस्थान – सरकार

शिक्षा – विभाग

आयुक्त कार्यालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकःएफ1(70)स्था/आकाशि/2006/पार्ट/ 1278 दिनॉकः 28फरवरी, 2013

प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
अजमेर/भरतपुर/बीकानेर

विषयः ***"संविदा के आधार पर"*** पूर्णतया अस्थायी तौर पर व्याख्याता की नियुक्ति हेतु।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व संविदा व्याख्याताओं को स्वीकृत रिक्त पदों पर पुनः रखने हेतु दिये गये SBCWP No. 1754/12 एवं सम्बद्ध प्रकरणों में पारित आदेश दिनॉक 25.07.2012 एवं 27.07.2012 की पालना में अन्य याचिका संख्या 12889/12, 17353/12, 18418/12, 16702/12 में जारी आदेशों की पालना में आपको संलग्न **परिशिष्ठ "द"** में उल्लेखित महाविद्यालयों में ***"संविदा के आधार पर"*** पूर्णतया अस्थायी तौर पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी/प्रतिनियुक्ति से व्याख्याता लौटने तक जो भी पहले हो, व्याख्याता नियुक्ति करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

योजना की क्रियान्विति हेतु निर्देश

(1) ***"संविदा के आधार पर"*** पूर्णतया अस्थायी तौर पर (संलग्न परिशिष्ठ ***"D"*** में वर्णित व्याख्याताओं के पदों पर) नियुक्ति हेतु प्राचार्य की अध्यक्षता में एक चयन समिति बनाई जावे जिसमें एक विषय विशेषज्ञ सदस्य हो।

(2) व्याख्याता पद पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता रखने वाले आवेदक को ही नियुक्ति प्रदान की जावे। निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की प्रति परिशिष्ठ ***"A"*** पर उपलब्ध है।

(3) नियुक्त अभ्यर्थी से लिखित में निर्धारित परिशिष्ठ ***"B"*** के अनुसार अण्डरटेकिंग ले ली जावे।

(4) उक्त योजना की क्रियान्विति की सूचना परिशिष्ठ ***"C"*** के अनुसार इस कार्यालय को अविलम्ब भिजवायें।

(5) इन व्याख्याताओं का उक्त योजना में होने वाले व्यय का भुगतान संवेतन मद से किया जावें।

(6) उक्त संविदा व्यवस्था माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त याचिकाओं में पारित निर्णयों के अध्ययधीन होगी।

(7) माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार संविदा कर्मी नियमितिकरण की मांग करने हेतु अधिकृत नहीं होगें।

(नवीन जैन)
निदेशक

क्रमांकःएफ1(70)स्था/आकाशि/2006/पार्ट/ 1278 दिनॉकः28 फरवरी, 2013

1. सम्बन्धित प्राचार्य जहां संविदा व्याख्याता को कार्यभार ग्रहण करना है।
2. परिशिष्ट "द" पर अंकित याचिओं को उनके नाम के सम्मुख अंकित सम्भागीय महाविद्यालय में अपने आवेदन पत्र के साथ समस्त मूल शैक्षणिक दस्तावेज पूर्व महाविद्यालय से कार्यमुक्ति के आदेश तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उनकी याचिका पर दिये गये निर्णय की प्रति प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

(आर.सी. मीणा)
संयुक्त निदेशक

परिशिष्ठ *"A"*

व्याख्याता पद हेतु अर्हताएं

"कला, विज्ञान सामाजिक विज्ञान एवं वाणिज्य" संकायों हेतु

अभ्यर्थी को NET व SLET परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उन्हीं Ph.D. उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी को NET व SLET उत्तीर्ण करने से छूट देय है जिन्होनें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (Minimum standards and procedure for award of Ph.D. Degree), Regulation 2009 की प्रक्रिया के अनुसार Ph.D. उपाधि प्राप्त की हो।

(आर.सी. मीणा)
संयुक्त निदेशक

परिशिष्ठ "B"

अण्डरटेकिंग का प्रारूप

(10 रूपये की नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निष्पादित (इसका सत्यापन नोटेरी पब्लिक से करवाया जाना है।))

"संविदा के आधार पर" पूर्णतया अस्थायी व्याख्याता के तौर पर नियुक्ति हेतु

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा SBCWP No. 1754/2012 एवं सम्बद्ध प्रकरणों में पारित निर्णय दिनॉक 25.07.12 एवं 27.07.12 की *(याची द्वारा प्रस्तुत याचिका संख्या लिखें)* पालना में आज दिनॉक को यह संविदा, राज्य सरकार की ओर से प्राचार्य एवं प्रार्थी श्री/श्रीमती/सुश्री पत्री/पत्नी/पुत्री श्री के मध्य नीचे लिखे गये विवरण एवं शर्तो के अनुसार संविदा के आधार पर, अध्यापन व्यवस्था हेतु निष्पादित किया जाता है।

1. ***कार्य*** प्रार्थी को प्रतिमाह शिक्षण कार्य एवं अन्य कार्य प्राचार्य के निर्देशन के अनुसार सम्पन्न करना होगा।

2 ***अवधि*** प्रार्थी की संविदा के आधार पर अध्यापन व्यवस्था, राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी/प्रतिनियुक्ति से व्याख्याता लौटने तक जो भी पूर्वतम हो के लिए होगी।

3 ***पारिश्रमिक***

3.1 प्रार्थी को 7950/- प्रतिमाह देय होगा। प्रार्थी को किसी भी प्रकार के अन्य कोई पारिश्रमिक, यात्रा भत्ता या अन्य भत्ते एवं परिलाभ देय नहीं होंगें।

3.2 माह के आंशिक समय की नियुक्ति की दशा में प्रार्थी को भुगतान माह की अवधि 30 दिन मानते हुए किया जायेगा।

4 ***अध्यापन व्यवस्था की समाप्ति***

4.1 प्रार्थी की संविदा के आधार पर व्यवस्था, राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी/ प्रतिनियुक्ति से व्याख्याता लौटने तक जो भी पूर्वतम हो के लिए होगी।

4.2 संविदा के आधार पर नियुक्ति किये गये अभ्यर्थी का कार्य सन्तोषजनक नहीं पाये जाने पर उसकी नियुक्ति प्राचार्य द्वारा समाप्त की जा सकेगी।

4.3 यदि प्रार्थी द्वारा प्रेषित कोई भी सूचना किसी भी समय असत्य पाई गई तो संविदा के आधार पर की गई नियुक्ति तत्काल समाप्त कर दी जावेगी तथा गलत सूचना *प्रस्तुत करने के लिए प्रार्थी के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।*

4.4 अभ्यर्थी को NET व SLET परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उन्हीं Ph.D. उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी को NET व SLET उत्तीर्ण करने से छूट देय है जिन्होनें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (Minimum standards and procedure for award of Ph.D. Degree), Regulation 2009 की प्रक्रिया के अनुसार Ph.D. उपाधि प्राप्त की हो।

4.5 मैं माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार नियमितिकरण की मांग नहीं करूगां।

प्रार्थी द्वारा यह संविदा स्वस्थ चित एवं स्वतंत्र इच्छा एवं बिना किसी दबाव व पूर्ण होश हवाश में बिना नशे-पते के रहते हुए सम्पादित की गई है।

प्रार्थी के हस्ताक्षर
प्रार्थी का नाम व पता

दिनॉक:
स्थान:

प्राचार्य के हस्ताक्षर
प्राचार्य का नाम व पता

दिनॉक:
स्थान:

प्रार्थी के प्रथम गवाह के हस्ताक्षर
प्रथम गवाह का नाम व पर्ता

दिनॉक:
स्थान:

प्राचार्य के प्रथम गवाह के हस्ताक्षर
प्राचार्य के प्रथम गवाह का नाम व पर्ता

दिनॉक:
स्थान:

प्रार्थी के द्वितीय गवाह के हस्ताक्षर
द्वितीय गवाह का नाम व पर्ता

दिनॉक:
स्थान:

प्राचार्य के द्वितीय गवाह के हस्ताक्षर
प्राचार्य के द्वितीय गवाह का नाम व पर्ता

दिनॉक:
स्थान:

परिशिष्ठ "C"

प्राचार्य द्वारा "संविदा के आधार पर" नियुक्ति हेतु आदेश का प्रारूप

कार्यालय प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय,

क्रमांक दिनॉक

कार्यालय आदेश

"संविदा के आधार पर" अध्यापन व्यवस्था

(विषय का नाम (जिसके लिए नियुक्ति दी गई है)

श्री/श्रीमती/सुश्री ———————————— पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री ————————— को 7950/– (अंके सात हजार नो सो पचास रूपये मात्र) प्रतिमाह पर राजकीय महाविद्यालय, ——————— में पूर्णतया संविदा के आधार पर अध्यापन व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी/प्रतिनियुक्ति से व्याख्याता लौटने तक जो भी पहले हो, तक के लिए अध्यापन कार्य करवाने हेतु निर्देशित किया जाता है।

अध्यापन व्यवस्था के लिए श्री/श्रीमती/कुमारी ————————————— निर्धारित योग्यताधारी है तथा इस हेतु मैने श्री/श्रीमती/कुमारी ————————————— द्वारा प्रस्तुत समस्त आवश्यक प्रमाण–पत्रों, अंक तालिकाओं व अन्य आवश्यक अभिलेखों की जॉच कर ली है।

प्रार्थी माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार नियमितिकरण की मांग करने हेतु अधिकृत नहीं होगा। प्रार्थी को आदेश जारी होने के सात दिवस में सम्बन्धित महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा यह आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेगें, जिसका दायित्व स्वयं प्रार्थी का होगा।

उक्त संविदा के आधार पर अध्यापन व्यवस्था हेतु प्रार्थी द्वारा 10/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर इस हेतु निर्धारित प्रपत्रों में संविदा पत्र दिनॉक ——————— को निष्पादित कर दिया गया है।

यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के अध्ययधीन होगी।

प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,

दिनॉक

क्रमांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निदेशक, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. सम्बन्धित प्राचार्य।
3. सम्बन्धित अभ्यर्थी।
4. लेखा शाखा।
5. रक्षित पत्रावली।

प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,

परिशिष्ठ "द"

क्र.सं.	याची का नाम	विषय	प्रस्तावित महा. जहां संविदा पर रखा जाना है।	सम्भागीय महा. जहां याची को रिपोर्ट करनी है तथा जहां से नियुक्ति आदेश जारी होने है।
1	श्री मन्जुल मयंक दीक्षित, पुत्र श्री गोपीनाथ शर्मा, धनवन्तरी नगर, नहर रोड, गंगापुरसिटी (स.माधोपुर)	राजनीति विज्ञान	राजकीय महा., करौली	राजकीय महा., भरतपुर
2	सुश्री शैली शर्मा, पुत्री श्री प्रेम कुमार शर्मा, 320,कृष्णा नगर, भरतपुर	भूगोल	राजकीय महा., धौलपुर	राजकीय महा., भरतपुर
3	सुश्री कृति शर्मा, पुत्री श्री जी.डी. शर्मा 320,कृष्णा नगर, भरतपुर	वनस्पति शास्त्र	राजकीय महा., भरतपुर	राजकीय महा., भरतपुर
5	सुश्री यासमीन खानम, पुत्री श्री शफी खान, मारवाड मोटर्स के पीछे, 18 तिलक नगर, बीकानेर	प्राणी शास्त्र	राजकीय महा., हनुमानगढ,	राजकीय महा., बीकानेर
6	श्री जय प्रकाश वर्मा, पुत्र श्री रामनिवास वर्मा, ग्राम पोस्ट– घाड, तहसील–देवली, (टोंक)	राजनीति विज्ञान	राज. कन्या महा., टोंक	राजकीय महा., अजमेर

(आर.सी. मीणा)
संयुक्त निदेशक